2013/00084
2013/00087

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

(1) प्रकरण संख्या 42/2013 (उदयपुर डिक्री)

भैरूसिंह पिता किशनसिंह राजपूत–राव, निवासी बाठेंडा कलां, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. लक्ष्मणसिंह (मृतक) के बजाय :–

1/1. श्रीमती भूर कंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह राजपूत–राव, निवासी बाठेंडा कलां, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. खुमाणसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत–राव, निवासी बाठेंडा कलां, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/3. रतनसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत–राव, निवासी बाठेंडा कलां, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/4. गुलाबसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत–राव, निवासी बाठेंडा कलां, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/5. मदनसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत–राव, निवासी बाठेंडा कलां, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/6. श्रीमती शोभा कुंवर पत्नी नाहरसिंह राजपूत–राव, निवासी मीठा नीम, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/7. दीपेन्द्रसिंह पिता नाहरसिंह राजपूत–राव, निवासी मीठा नीम, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/8. श्रीमती जस कुंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह पत्नी मानसिंह राजपूत–राव, निवासी करनवा, तहसील बाली, जिला पाली (राज.)

1/9. श्रीमती लीला कुंवर उर्फ सरोज कुंवर पत्नी खीमसिंह राजपूत–राव, निवासी करनवा, तहसील बाली, जिला पाली (राज.)

1/10. श्रीमती राज कुंवर पत्नी किशनसिंह राजपूत–राव, निवासी बाठेंडा कलां, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

(2) प्रकरण संख्या 44/2013 (उदयपुर डिक्री)

भैरूसिंह पिता किशनसिंह राजपूत–राव, निवासी बाठेंडा कलां, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. लक्ष्मणसिंह (मृतक) के बजाय :–

1/1. श्रीमती भूर कंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह राजपूत–राव, निवासी बाठेंडा कलां, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. खुमाणसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत–राव, निवासी बाठेंडा कलां, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/3. रतनसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत–राव, निवासी बाठेंडा कलां, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/4. गुलाबसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत–राव, निवासी बाठेंडा कलां, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/5. मदनसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत–राव, निवासी बाठेंडा कलां, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/6. श्रीमती शोभा कुंवर पत्नी नाहरसिंह राजपूत–राव, निवासी मीठा नीम, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/7. दीपेन्द्रसिंह पिता नाहरसिंह राजपूत–राव, निवासी मीठा नीम, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/8. श्रीमती जस कुंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह पत्नी मानसिंह राजपूत–राव, निवासी करनवा, तहसील बाली, जिला पाली (राज.)

1/9. श्रीमती लीला कुंवर उर्फ सरोज कुंवर पत्नी खीमसिंह राजपूत–राव, निवासी करनवा, तहसील बाली, जिला पाली (राज.)

1/10. श्रीमती राज कुंवर पत्नी किशनसिंह राजपूत–राव, निवासी बाठेंडा कलां, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि.–1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर
प्रा. डिक्री दि0 02.02.09 अंतिम डिक्री
दिनांक 27.04.2011, प्र. सं. 222/07

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री विजय ओस्तवाल अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री नारायणलाल जाट अभि.रे. 1/1 से 1/5, 6

———::———

निर्णय **दिनांक 23–05–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोन्डेन्ट लक्ष्मणसिंह द्वारा अपीलान्ट व अन्य प्रतिवादी के विरूद्ध धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बाठरड़ा कलां कला में वाद पत्र की कलम संख्या 1 (क) में वर्णित कुल किता 23 रकबा 25 बीघा 14 बिस्वा स्थित है, जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा अंकित है। इसी प्रकार कलम (ख) में वर्णित कुल किता 8 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा में वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा अंकित है। उक्त भूमियां किसनसिंह, लक्ष्मणसिंह पिता जगतसिंह के खातेदारी की थी, जिसमें लक्ष्मणसिंह वादी है तथा किसनसिंह का निधन होकर उसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हैं। उक्त भूमियों का अभी मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं हुआ है तथा संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही है, जिससे वादी को ऋण लेने आदि में दिक्कत आती है। अतएवं उक्त भमियों का विधिवत विभाजन कराया जाकर विधिक अनुतोष दिलाया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध दिनांक 30–01–2008 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

प्रकरण में दिनांक 28–07–2008 को निम्नानुसार 3 तनकियात भी कायम की गयी :–

1. आया वाद पत्र की कलम नंबर 1 में वर्णित आराजियात का वादी, प्रतिवादी संख्या 1, 2 के मध्य जरिये प्रतिवादी संख्या 3 के मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन कराने का अधिकारी है ? ..... वादी
2. आया वाद पत्र की कलम नंबर 1 में वर्णित आराजी का पिता के वक्त हो चुका है जिससे अब नये सिरे से बंटवाड़ा कराने का वादी अधिकारी नहीं है ? ..... प्रतिवादी संख्या 1, 2
3. अनुतोष ?

प्रकरण में वादी की साक्ष्य लिये जाने के बाद प्रकरण प्रतिवादी की साक्ष्य में मुकर्रर था। इसी दौरान दिनांक 02–02–2009 को अधिनस्थ न्यायालय ने अंकित किया कि अधिवक्ता पक्षकार उभयपक्ष के हिस्से कब्जे अनुसार बंटवाड़ा करवाने हेतु सहमत हैं। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02–02–2009 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की।

उक्त प्रारम्भिक डिक्री पर उभयपक्षों के सहमत हो जाने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27–04–2011 को प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित की गयी।

अधिनस्थ न्यायालय की उक्त प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 02–02–2009 से रूष्ट होकर प्रतिवादी भैरूसिंह द्वारा प्रथम अपील संख्या 42/2013 इस न्यायालय में दिनांक 28–02–2003 को प्रस्तुत की गयी।

इसी प्रकार अधिनस्थ न्यायालय की अंतिम डिक्री दिनांक 27–04–2011 से रूष्ट होकर प्रतिवादी भैरूसिंह द्वारा द्वितीय अपील संख्या 44/2013 इस न्यायालय में दिनांक 28–02–2013 को पेश की गयी।

उक्त दोनों अपीलें अधिनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 222/2007 में पारित प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 02–02–2009 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 27–04–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। दोनों ही अपीलों में पक्षकारान, विषय वस्तुत तथा एक ही प्रकरण के विरूद्ध पारित प्रारम्भिक डिक्री व अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत होने से दोनों अपीलों का एक ही निर्णय किया जाना उचित समझते हैं।

सर्वप्रथम हम प्रथम अपील संख्या 42/2013 का निर्णय करना उचित समझते हैं। यह अपील अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 02–02–2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री कब्जे एवं हिस्से अनुसार पारित की गयी थी, जिससे उसकी कोई अपील नहीं की गयी थी। बंटवाड़ा हेतु तहसीलदार को कमिश्नर नियुक्त किया गया था, परन्तु बंटवाड़ा रेवेन्यू इन्सपेक्टर द्वारा किया गया, जिसकी कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गयी। बंटवाड़ा सूची पर मेरे फर्जी हस्ताक्षर करवाये गये हैं। मैं मुम्बई में नौकरी पर था, दिनांक 09–01–2013 को पटवारी हल्का ने बंटवाड़े की

जानकारी दी। तत्पश्चात नकले प्राप्त कर अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ हमारे द्वारा उक्त आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा विलम्ब के लिए कोई पर्याप्त एवं उचित आधार नहीं बताये गये हैं तथा जो आपत्तियां उठाई गयी हैं वह मूलतः प्रारम्भिक डिक्री के कियान्वयन से संबंधित हैं। प्रारम्भिक डिक्री सहमति के आधार पर पारित की गयी है। अतएवं मयाद कण्डोन किये जाने का कोई आधार नहीं है तथा सहमति प्रारम्भिक डिक्री की अपील वैसे भी लाई नहीं होती है। तद्नुसार प्रथम अपील संख्या 42/2013 बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

जहां तक द्वितीय अपील संख्या 44/2013 का प्रश्न है, अपीलान्ट द्वारा दफा 5 जाब्ता मियाद के आवेदन में वही आधार लिये गये हैं जो उसके द्वारा प्रथम अपील संख्या 42/2013 में लिये गये हैं। अपीलान्ट द्वारा विलम्ब को कण्डोन किये जाने के लिए कोई तार्किक, औचित्य पूर्ण एवं ठोस आधार नहीं लिये गये हैं, जबकि प्रकरण में दिनांक 27–04–2011 को उभयपक्षों के अधिवक्तागण की उपस्थिति में सहमति के आधार पर अधिवक्तागण के हस्ताक्षर के साथ अंतिम डिक्री जारी की गयी है। अधिवक्तागण की उपस्थिति एवं सहमति से जारी की गयी अंतिम डिक्री की अपील करीब 1 वर्ष 8 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जिसके लिए जो आधार लिये गये हैं, वे न तो उचित हैं, न ही पर्याप्त। वैसे भी सहमति से जारी की गयी डिक्री की कोई अपील लाई नहीं होती है। तद्नुसार द्वितीय अपील संख्या 44/2013 भी बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 23–05–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

भैरूसिंह पिता किशनसिंह राजपूत राव, निवासी बाठेंडा कलां, तह0 वल्लभनगर, जिला उदयपुर बनाम **लक्ष्मणसिंह के बजाय श्रीमती भूर कंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह राजपूत, निवासी बाठेंडा कलां, तहसील वल्लभनगर, जि. उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**42 / 2013**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**वल्लभनगर**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....02**.....माह.....**02**.....**2009**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**23**...माह.....**05**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री विजय कुमार ओस्तवाल**....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री नारायणलाल जाट**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज करते हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 02–02–2009 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**23**.....माह.....**05**.....**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

भैरूसिंह पिता किशनसिंह राजपूत राव, निवासी बाठेंडा कलां, तह0 वल्लभनगर, जिला उदयपुर बनाम **लक्ष्मणसिंह के बजाय श्रीमती भूर कंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह राजपूत, निवासी बाठेंडा कलां, तहसील वल्लभनगर, जि. उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**44 / 2013**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**वल्लभनगर**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....27**.....माह.....**04**.....**2011**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**23**...माह.....**05**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री विजय कुमार ओस्तवाल**....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री नारायणलाल जाट**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज करते हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 27–04–2011 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**23**.....माह.....**05**.....**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

दामोदरलाल पिता पन्नालाल नागदा, निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर बनाम **मोहनलाल पिता पन्नालाल नागदा, नि0 बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**162/2009**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....03**.....माह.....**03**.....**2009**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**09**....माह.....**.11**.....सन् **2017** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री संजय बोहरा**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री राजमल राव**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 16/2005 में जारी प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 03–03–2009 में ग्राम बूझड़ा की आराजी नंबर 311 व 312 का भी हस्ब राजस्व रेकार्ड विभाजन किये जाने के लिए प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय की पूर्व प्रारम्भिक डिक्री में दोनों आराजियात भी सम्मिलित की जाती हैं।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**09**.....माह.....**.11**.....**2017** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

मोहनलाल पिता पन्नालाल नागदा, निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर बनाम **कन्हैयालाल पिता पन्नालाल नागदा, निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**212/2009**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....03**.....माह.....**03**.....**2009**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**09**....माह.....**.11**.....सन् **2017** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री राजमल राव** ....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री खेमराज डांगी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 16/2005 में जारी प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 03–03–2009 में ग्राम बूझड़ा की आराजी नंबर 311 व 312 का भी हस्ब राजस्व रेकार्ड विभाजन किये जाने के लिए प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय की पूर्व प्रारम्भिक डिक्री में दोनों आराजियात भी सम्मिलित की जाती हैं।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**09**.....माह.....**.11**.....**2017** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।